31-1-2020 वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी ने वादगतभूमि के सह खातेदार शिवलाल व भीखाराम के शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी सं. 1 का नाम हीरालाल पुत्र अजमालराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम राधा पत्नी अजमालराम नाम अंकित है। जबकि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6344 रकबा 6.87 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम हीराराम पुत्र अजमालराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम नेमा पत्नी अजमालराम नाम अंकित हो गया। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही पांचू दक्षिण के खेत खसरा नम्बर 6344 रकबा 6.87 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 हीराराम पुत्र अजमालराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम नेमा पत्नी अजमालराम के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 का नाम हीरालाल पुत्र अजमालराम तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम राधा पत्नी अजमालराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 22:34:37 IST
Reason: SelfAttested